168

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3949–एक/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 20–8–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना – प्रकरण कमांक 11 अ–6–अ/2014–15 अपील

राममूर्ति पाण्डे पुत्र मुन्नालाल पाण्डेय
ग्राम सिरस्वाहा तहसील व जिला पन्ना,म0प्र0 ----आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 12 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के प्रकरण कमांक 11 अ–6–अ/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–8–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार पन्ना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि ग्राम अकला स्थित भूमि सर्वे कमांक 40 रकबा 2.023 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) को तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक 65 अ 19/1973–74 में पारित आदेश दिनांक 2971–1974 से इस नाम से उसे पटटे पर प्राप्त हुई है। " **राममूर्ति पुत्र मुन्ना ब्राहमण**" । इसी भूमि पर आदेश दिनांक 18–12–1084 से उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये है एंव भू अधिकार तथा ऋण पुस्तिकायें भी प्रदान की गई है। किन्तु वर्ष 1985–86 के वाद खसरा बनाते समय हलका

पटवारी ने राममूर्ति पिता मुन्नालाल के नाम के स्थान पर रामकुमार पिता मुन्नीलाल त्रृटिपूर्ण ढंग से अंकित कर दिया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं लगी है। इसी प्रकार बंदोवस्त के दौरान पुरानी आरा नंबर 40/2 रकबा 2.023 हैक्टर के स्थान पर नवीन आराजी कमांक 34 रकबा 2.00 हैक्टर निर्मित करते समय भी राममूर्ति के स्थान पर राकुमार पिता मुन्नी लिख दिया गया है , जिसे सुधार दिया जाय। नायव तहसीलदार प्रकरण कमांक 3 अ—6—अ/2013—14 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 20—5—2014 से आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 11 अ—6—अ/2014—15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20—8—2015 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक 65 अ 19/1973—74 में पारित आदेश दिनांक 29—1—1974 से आवेदक को पटटे पर प्राप्त है एंव पटटाग्रहीता का नाम राममूर्ति पाण्डे पुत्र मुन्नालाल पाण्डेय है। इसी भूमि पर आदेश दिनांक 18—12—1084 से उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये है तथा भू अधिकार तथा ऋण पुस्तिकायें भी प्रदान की गई है और यह भी सही है कि वर्ष 1985—86 के वाद खसरा बनाते समय हलका पटवारी ने आवेदक राममूर्ति के नाम की पटटा प्राप्ति दिनांक 29—1—1974 से चली आ रही प्रविष्टि को राममूर्ति नाम के बजाय खसरे में रामकुमार पिता मुन्नीलाल नाम अंकित कर दिया है। नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20—5—14 में यह मानना है कि आवेदक ने यह प्रमाण नहीं दिया है कि रामकुमार पिता मुन्नीलाल ही राममूर्ति पुत्र मुन्नालाल पाण्डेय है, जबकि आवेदक इस सम्बन्ध में शपथ पत्र देकर साक्ष्य देकर प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि जब तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक

65 अ 19/1973–74 में पारित आदेश दिनांक 29–1–1974 से आवेदक को वादग्रस्त भूमि पटटे पर प्राप्त है एंव पटटेदार का नाम राममूर्ति पाण्ड़े पुत्र मुन्नालाल पाण्डेय है। तहसील व्दारा आदेश दिनांक 18–12–1084 से राममूर्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये है एंव भू अधिकार तथा ऋण पुस्तिकायें भी प्रदान की गई है। वर्ष 1985–86 से इसी भूमि के खसरो में राममूर्ति के बजाय रामकुमार शब्द पटवारी व्दारा बिना सक्षम आदेश के स्वस्तर से अंकित कर देना क्या नियम एंव प्रकियाधीन कार्यवाही मानी जावेगी। स्पष्ट है कि पटवारी व्दारा की गई अधिकारविहीन कार्यवाही आरंभ से ही शून्यवत् है इस तथ्य के अभिज्ञान में आने के वाद भी नायव तहसीलदार व्दारा आदेश दिनॉक 20–5–2014 से आवेदक का आवेदन अमान्य करना उचित नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी ने भी आदेश दिनांक 20–8–15 पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ–6–अ/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–8–2015 तथा नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 3 अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम अकला स्थित आराजी कमांक 34 रकबा 2.00 हैक्टर पर पटटाग्रहीता आवेदक राममूर्ति पुत्र मुन्नालाल पाण्डेय का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर